


13



01. नुस.जानकी बेबा स्व. बब्बू प्रसाद उम्र 80वर्ष,

02. महेन्द्र कुमार पिता स्व. बब्बू प्रसाद उम्र 62वर्ष,

दोनो निवासी ग्राम दिदौध, तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र...निगराकार

बनाम

01. नारेन्द्र प्रताप उर्फ नारेन्द्र प्रसाद गौतम उम्र 68वर्ष पिता स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद मूलनिवासी ग्राम दिदौध हालनिवासी बिराटनगर सतना तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. व वर्तमान निवास-नईदिल्ली
02. राजेन्द्र प्रसाद उम्र 64वर्ष पिता स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद
03. बीरेन्द्र कुमार उम्र 54वर्ष पिता स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद
04. राज कुमार उम्र 52वर्ष पिता स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद
05. शैलेन्द्र कुमार उम्र 50वर्ष पिता स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद
06. राजेश कुमार उम्र 47वर्ष पिता स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद
07. श्रीमती कुशुम उर्फ रज्जू उम्र 72वर्ष पुत्री स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद
08. श्रीमती सावित्री उर्फ रन्ना उम्र 66वर्ष पुत्री स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद
09. श्रीमती मीरा उम्र 53वर्ष पुत्री स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ ज्वाला प्रसाद सभीनिवासी ग्राम दिदौध, तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.....

गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का.मा.

बिरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.के राजस्व अपील क्र.-139/अपील /16-17 आदेश दिनांक 28.08.2017 के

मान्यवर,

उपरोक्त में निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी है:- नि.अ. जानकी  
महेन्द्र कुमार बेबा 11/2/17

सुर्केश भार्गव  
9-10-17

9-10-17  
पंजी दिनांक 11-10-17


सुर्केश भार्गव  
9-10-17 एडवोकेट  
ज्वालियर

13  
59  
11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/3757

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 39/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(बी.एम. शर्मा)</b>  <b>सदस्य</b> </p>	